मध्यप्रदेश शासन,
पशुपालन विभाग
मंत्रालय

कमांक 3738 /चारा विकास/05/भोपाल,दिनांक/5 अक्टूबर 05

प्रति,

कलेक्टर,
-------(समस्त)

विषयः– प्रदेश की चारा नीति तैयार किए जाने के संबंध में।

—

राज्य शासन व्दारा एक जनूरी 2006 से प्रदेश की घारा नीत (पांचवर्षीय) तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में जहां सूखे चारे की पर्याप्त उपलब्धता है, वहीं दूसरी ओर हरे चारे की उपलब्धता अनुमानित मांग 2135 लाख टन के विरूध्द मात्र लगभग 20 प्रतिशत है।

आगामी पांच वर्ष की अवधि में हरे चारे की उपलब्धता में प्रदेश की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्‌देश्य से चारा नीति (2006) तैयार की जाना है,जो निम्नलिखित मार्गदर्शी बिन्दूओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जावेगी।

1– चारा उत्पादन व चारागाह विकास की ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, पशुचिकित्सा विभाग एवं कृषि विभाग व्दारा कतिपय योजनाएं संचालित हैं जो इस पत्र के साथ परिशिष्ट–1 में भेजी जा रही है।

2– उक्त विभागों की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की जानकारी भी उपरोक्त परिशिष्ट में है।

3– चारे की मांग व उपलब्धता में अंतर का आंकलन ग्रामवार किया जायेगा। साथ ही आगामी पांच वर्षो में पशुधन की संख्या में अनुमानित बढ़ोतरी का भी आंकलन किया जायेगा और तदोपरान्त हरे चारे की उपलब्धता में अंतर (कमी) को पंचवर्षीय लक्ष्य निर्धारित करते हुए चारा उत्पादन और चारागाह विकास के कार्यकमों एवं जन सहयोग के माध्यम से कराने की रणनीति तैयार की जायेगी।

4– ग्रामवार चारे की मांग व उपलब्धता में अंतर का आंकलन करने व कमी की पूर्ति हेतु पंचवर्षीय लक्ष्य योजना/कार्यकमवार निर्धारित करने के लिए से संलग्न परिशिष्ट–ii में पत्रक भेजा जा रहा है, जिसमें ग्रामवार योजना तैयार की जाय। यध्दपि योजना का लक्ष्य पांच वर्ष में हरे चारे की कमी के अंतर को शत–प्रतिशत पाटना है तथापि योजनावार लक्ष्य निर्धारण प्रथम तीन वर्षो कमशः 2006–07, 2007–08, 2008–09 के लिए प्रथम वर्ष में 15 प्रतिशत, व्दितीय वर्ष में 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष के लए 25 प्रतिशत इस प्रकार कुल 60 प्रतिशत की उपलब्धि प्रथम

निरस्त

मुप.अ(उत्पादन)

प्र.अ. भोपाल

4978
25/10

25/10

तीन वर्षो में पाने का लक्ष्य रहेगा।

5– ग्रामस्तरीय योजना का अनुमोदन ग्रामसभा से कराया जाना होगा।

6– चारा नीति जनभागीदारी पर आधारित होगी। अतः इसमें सरकार की भूमिका सहयोगात्मक होगी।

7– चारा नीति में हरे चारे की उपलब्धता के साथ–साथ जैविक खाद में आत्मनिर्भरता का भी ध्यान रखा जाएगा।

8– चारा नीति को बनाते समय स्थानीय फसल का ध्यान रखा जायेगा। वन क्षेत्रों में रोटेशनल चराई का ध्यान रखा जायेगा।

9– अतः सर्वप्रथम जिला स्तर पर संबंधित विभागों की बैठक ली जाकर आगामी कार्ययोजना तैयार की जाय।

10– ग्रामवार संबंधित विभागों के मैदानी अमले की टीम गठित की जाकर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देकर/उन्मुखीकृत किया जाकर ग्रामवार योजना तैयार की जाकर आगामी तीन वर्षो के लिए योजना/कार्यक्रमार लक्ष्य निर्धारित किया जाय और इस योजना का ग्रामसभा से अनुमोदन कराया जाय।

उपरोक्त समस्त कार्याही की जाकर जिला चारा योजना की जानकारी संलग्न प्रपत्र iii में एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं अन्तर्गत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त करने हेतु जिले का समेकित प्रस्ताव 15 दिसम्बर 2005 तक अनिवार्य रूप से संबंधित प्रशासकीय विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

19/x/05

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन पशुपालन विभाग

क्रमांक 3739 / चारा विकास/ भोपाल/दिनांक 19 अक्टूबर 2005

प्रतिलिपिः–

1– संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं विभाग, भोपाल
2 प्रधान वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन भोपाल
3 संचालक कृषि विन्ध्याचल भवन भोपाल
4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
5 संयुक्त/उपसंचालक पशुचिकित्सा सेवाए मध्यप्रदेश।
6 विशेष सहायक माननीय मंत्री पशुपालन म.प्र.शासन भोपाल

प्रमुख सचिव,
म0प्र0शासन,पशुपालन विभाग